निदेशालय, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।

फोन :– 0141–2612591, ,फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : sso1rajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांकःनिगृर/स्था/ई–1 (2–6) 2020/ 18564-600 दिनांक 9-6-2020

:– आदेश –:

राजस्थान कर्मचारी चयन बार्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा–2018 के चयनित अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांकःप. 1(1)प्रसु./अनु–3/2020 दिनांक 16.05.2020 द्वारा विभाग को आँवटित किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम–1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर वित्त विभाग (नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांकः एफ. 15 (1) एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांकः 30.10.2017 के शिडयूल–4 के तहत पे–मेट्रिक्स के पे लेवल–5 में 14600/– (अक्षरे रूपये चोदह हजार छः सो मात्र) नियत पारिश्रमिक मासिक की दर से अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाकर एतद् द्वारा पदस्थापन किया जाता है :–

क्र. सं.	मेरिट क्रमांक	नाम अभ्यर्थी मय पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्ग	चयनित वर्ग	पदस्थापन कार्यालय
1.	1018	श्री गोपी राम/ अर्जुन लाल	22.03.1993	ओबीसी	सामान्य	निदेशालय, गृह रक्षा, जयपुर
2.	1083	श्री सुभाष सैनी/ रामवतार सैनी	21.04.1994	ओबीसी	सामान्य	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा
3.	1172	श्री पुष्पेन्द्र सैन/ दामोदर सैन	02.07.1991	ओबीसी	सामान्य	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बून्दी
4.	1225	श्री कृष्ण कुमार/ दलीप कुमार	01.07.1995	ओबीसी	सामान्य	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, टौंक
5.	1258	श्री रामचन्द्र गुर्जर/ श्रवण गुर्जर	05.04.1996	एमबीसी	सामान्य	निदेशालय, गृह रक्षा, जयपुर
6.	1273	कु0 शीतल पाराशर/ हरेन्द्र पाराशर	15.03.1999	सामान्य	सामान्य	निदेशालय, गृह रक्षा, जयपुर
7.	1359	श्री अनूप कुमार सैनी/ राधेश्याम सैनी	01.07.1994	ओबीसी	सामान्य	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, प्रतापगढ
8.	1393	श्री रविकांत शर्मा/ यादराम शर्मा	10.06.1995	सामान्य	सामान्य	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, सवाई माधोपुर
9.	1491	श्री परमानन्द शर्मा/ राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	18.01.1997	सामान्य	सामान्य	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बांरा
10.	7838	श्री विकास सिराधना/ कैलाश चन्द सिराधना	09.07.1991	एमबीसी	एमबीसी	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजसमन्द
11.	8442	श्री सुरेश कुमार गुर्जर/ सीता राम गुर्जर	01.07.1992	एमबीसी	एमबीसी	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, सिरोही
12	11026	श्री विकास मीना/ प्रहलाद कुमार मीना	30.03.1992	एसटी	एसटी	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर
13.	14556	श्री दिलीप कुमार मीना/ प्रहलाद मीना	10.03.1997	एसटी	एसटी	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, पाली

14.	16051	श्री सोम दत्त / प्रकाश चन्द मीणा	30.06.1991	एसटी	एसटी	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, हनुमानगढ
15.	16119	श्री विनोद मीना / भोलाराम मीना	28.01.1998	एसटी	एसटी	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, दौसा

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारण वश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि कब तक कार्यभार सम्भालेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नही सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्वि देय नही होगी।
4. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प. 15 (1) वित्त / नियम / 2017 दिनांकः 30.10.2017 के अन्तर्गत 15 दिवस आकस्मिक अवकाश देय है।
5. परिवीक्षाधीन अवधि में नियम पारिश्रमिक से पेंशन अंशदान की कटौती होगी।
6. वित्त विभाग के आदेश क्रमाकः एफ. 6 (6) एफ.डी. / रूल्स / 2005 दिनाक 13.03.2006 के अनुसार मेडिक्लेम इन्श्योरेन्स योजना प्रभावी होगी।
7. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवम् आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षा काल समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परिवीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो तो, में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
8. 2 वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 में किया जाकर नियमानुसार वेतन उस पर अन्य भत्ते देय होगें।
9. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ / कनिष्ठ अभ्यर्थियों से पूर्व में अथवा बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बार्ड, जयपुर प्राप्त मैरिट सूची के आधार पर ही होगा।
10. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
11. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांकः एफ. 13 (1) वित्त / नियम / 2003 दिनांक 28.01.2004 एवम् 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
12. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हे राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे, परन्तु पदस्थापन पर कार्य ग्रहण के समय पूर्व नियोजक द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवम् गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
13. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों / परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश / परिपत्र इस सम्बन्ध में लागू होंगे।
14. सम्बन्धित अभ्यर्थी को पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये

जाने का नियुक्तिकर्ता को अधिकार होगा। कार्य ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व वृत सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण करने से पूर्व 50 रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाऐं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर नियुक्तिकर्ता द्वारा इनकी सेवाऐं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

15. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 7 (2) डी.ओ.पी./क–2/2005 दिनांक 20.01.2006 एवम् वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांकःएफ. 12(6)एफ.डी./रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, एफ.6(6)एफ.डी./रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ.1(2)एफ.डी./रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, एफ.13(1)एफ.डी./रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम–2017 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होंगे।
16. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
17. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य ग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
18. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत देय नही होगा।

ई.ओ.बी. 156

(राजीव दासोत IPS)
महानिदेशक
गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांकः प. 1 (1) प्र.सु./अनु–3/2020 दिनांक 16.058.2020 के क्रम मे।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–7) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक पुलिस, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बार्ड, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. उप महासमादेष्टा–प्रथम, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांकःप.1(1)प्रसु./अनु–3/2020 दिनांक 16.05.2020 की प्रति एवम् आवेदन फार्म भेजकर लेख है कि वे इसमें उल्लेखित शर्तों के सत्यापन के पश्चात कार्य ग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांकःप.1(1)प्रसु./अनु–3/2020 दिनांक 16.05.2020 की प्रति एवम् आवेदन फार्म भेजकर लेख है कि वे इसमें उल्लेखित शर्तों के सत्यापन के पश्चात कार्य ग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. उप महासमादेष्टा–द्वितीय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सीनियर स्टाफ आफिसर–प्रथम/द्वितीय, निदेशालय, गृह रक्षा, जयपुर।

11. समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, पाली/हनुमानगढ, को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांकःप.1(1)प्रसु./अनु–3/2020 दिनांक 16.05.2020 की प्रति एवम् आवेदन फार्म भेजकर लेख है कि वे इसमें उल्लेखित शर्तों के सत्यापन के पश्चात एवं सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कार्य ग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
12. समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र,कोटा/बून्दी/प्रतापगढ/सवाईमाधोपुर/बांरा/राजसमन्द/सिरोही एवं दौसा को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांकःप.1(1)प्रसु./अनु–3/2020 दिनांक 16.05.2020 की प्रति एवम् आवेदन फार्म भेजकर लेख है कि वे इसमें उल्लेखित शर्तों के सत्यापन के पश्चात कार्य ग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
13. समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, टौंक को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांकःप.1(1)प्रसु./ अनु–3/2020 दिनांक 16.05.2020 की प्रति एवम् आवेदन फार्म भेजकर लेख है कि वे इसमें उल्लेखित शर्तों के सत्यापन एवं ओ.बी.सी. प्रमाण–पत्र (जो छः माह से पुराना ना हो) प्राप्त कर कार्य ग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
14. प्रभारी बिल शाखा, गृह रक्षा, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
15. श्री मदन मोहन जोशी, वरिष्ठ सहायक, निदेशालय, गृह रक्षा, जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेब साईट पर अपलोड करें।
16. सम्बन्धित कर्मचारी।
17. निजी पत्रावली।
18. ई.ओ.बी.।

महानिदेशक
गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।